छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद्,रायपुर
कार्यालय - शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय चिकित्सालय भवन,रायपुर (छ.ग.)
492010(छत्तीसगढ़) फोन एवं फैक्स 0771 - 2263165
वेबसाईट - www.cgaupcb.in, ई-मेल - registrar@cgaupcb.in, cgaupcbregistrar@gmail.com

क्रमांक/पंजीयन/2026/ 266 रायपुर, दिनांक - 01/04/2026

-:: सूचना ::-

छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद्, रायपुर में पंजीकृत आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा व्यवसायियों को सूचित किया जाता है कि भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (आचार एवं पंजीयन) विनियम 2023 के अनुच्छेद 12 (2) के अंतर्गत विभिन्न राज्य परिषदों/बोर्ड द्वारा अन्य राज्यों में पंजीकृत आयुर्वेद, यूनानी चिकित्सा व्यवसायियों का अस्थायी पंजीयन किया जा रहा है। उपरोक्तानुसार अवगत होवें कि छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद्, रायपुर के दिनांक 25/02/2026 को संपन्न बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य में पंजीकृत आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा व्यवसायियों को अन्य राज्य में अस्थायी पंजीयन (Temporary Registration) हेतु स्थानीय राज्य परिषद् से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। तदानुसार आवेदक/आवेदिका के नाम की प्रविष्टि स्थानीय राज्य रजिस्टर से हटाई नही जायेगी वरन उन्हे अन्य राज्य परिषद्/बोर्ड में अस्थायी पंजीयन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा।

उपरोक्तानुसार अवगत होवें कि अन्य राज्य परिषद्/बोर्ड में अस्थायी पंजीयन हेतु इच्छुक चिकित्सकों को सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद्, रायपुर से संबंधित राज्य परिषद् के लिए अनापत्ति प्रमाण प्राप्त करना अनिवार्य है, बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र किसी भी आवेदक के दस्तावेजों/विवरणों का सत्यापन करना संभव नहीं होगा।

संलग्न :-अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र एवं शुल्क की जानकारी।

(डॉ. संजय शुक्ला)
रजिस्ट्रार
छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा
पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद्, रायपुर

प्रति,

रजिस्ट्रार
छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी
चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद्,
रायपुर

विषय :– अन्य राज्य परिषद्/बोर्ड में अस्थायी पंजीयन (Temporary Registration) हेतु अनापत्ति प्रदान करने बाबत्।

––00––

विषयांतर्गत निवेदन है कि मैं वर्तमान में छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद्, रायपुर में पंजीयन क्रमांक ––––––––––––––– पर पंजीकृत हूँ। भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (आचार एवं पंजीयन) विनियम 2022 की धारा 12(2) के तहत मैं ––––––––––––––––––––– में चिकित्सा व्यवसाय करना चाहता/चाहती हूँ।

कृपया मुझे –– में अस्थायी पंजीयन (Temporary Registration) हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने का कष्ट करेंगे।

दिनांक ––––––––––––––––––––

आवेदक का हस्ताक्षर

आवेदक का नाम

पंजीयन क्रमांक ––––––––––––

पता– –––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––

मोबा. नं. ––––––––––––––––––––

अस्थायी पंजीयन (Temporary Registration) के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवश्यक दस्तावेज एवं शुल्क विवरण

संलग्न दस्तावेज – स्थायी पंजीयन प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।

शुल्क – 1,500/– (अक्षरी एक हजार पॉच सौ रूपये मात्र)

(डॉ. संजय शुक्ला)
रजिस्ट्रार
छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा
पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद्,रायपुर

***